


# अचल संपत्ति का विवरण वर्ष / दिनांक 31-3-2019

- 1 अधिकारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो ..... जे.पी. शिन्हा  
 2 वर्तमान धारित पद ..... जिला संचो जक (उभारी)  
 3 वर्तमान वेतन - मूल वेतन ..... 60900 + 7308 = 68208/-  
 4 अगली वेतन वृद्धि की दिनांक ..... 1-7-2020

उस जिले, उपसंभाग तहसील तथा ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला- सीवा संभाग- सीवा तह- लोअर ग्राम- नेगुरा	एक मकान	कामरा 8 एकड़	लगभग 10 लाख	एनपी एन भाई के संबुद्ध नाम से है	विरासत पैतृक	कामरा संबुद्ध रूप से होने के कारण कोई व्यक्तिगत आपत्ती है	

- 1 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
- 2 जहाँ ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- 3 इसमें अल्पकालीन पट्टा भी सम्मिलित है।

हस्ताक्षर- 

नाम- जे.पी. शिन्हा

पदनाम- जिला संचो जक

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।